राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)/(एम-588/86)/अलेसे –III/9078-9090 दिनांक : 14.07.2015

कार्यालय आदेश

श्री मूलचन्द माली, कनिष्ठ लेखाकार (दिनांक 31.08.2012 को सेवानिवृत्त) को कार्यालय सहायक अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाड़मेर में कार्यरत रहने के दौरान, जिला कलेक्टर, बाड़मेर द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कन्ट्रोल एवं अपील रूल्स 1958 के नियम 13 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश क्रमांक पीए/2009/216-223 दिनांक 19.03.2009 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया । तत्पश्चात शासन उपसचिव, कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(200) कार्मिक/क–3/2009 दिनांक 28.01.2011 द्वारा श्री माली को, निलम्बन अवधि का नियमितिकरण उनके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जाँच कार्यवाही के अंतिम निर्णय के अध्यधीन बहाल किया गया। इस प्रकार श्री मूल चन्द माली दिनांक 19.03.2009 से दिनांक 27.01.2011 तक निलम्बित रहे।

शासन उपसचिव, कार्मिक(क–3/जांच)विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(200)कार्मिक/क–3/2009 दिनांक 04.06.2015 द्वारा उक्त श्री मूल चन्द माली, तत्कालीन क.लेखाकार, कार्यालय सहायक अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाड़मेर के विरूद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को समाप्त कर उनकी उक्त निलम्बन अवधि को नियमित करते हुए उसे सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने के आदेश दिये गये है, अतः कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के उक्त आदेश दिनांक 04.06.2015 की अनुपालना में उक्त श्री मूल चन्द माली सेवानिवृत्त क. लेखाकार की निलम्बन अवधि 19.03.2009 से 27.01.2011 को समस्त प्रयोजनार्थ सेवा काल माने जाने एवं उक्त अवधि के बकाया वेतन–भत्ते (उक्त अवधि के दिये गये निर्वाह भत्ते को घटाकर) भुगतान किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(1)/(एम-588/86)/अलेसे –III/9078-9090 दिनांक :14.07.2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन उपसचिव, कार्मिक (क–3/जाँच) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, खान (ग्रुप–I) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
5. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. सहायक अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, बाड़मेर।
7. संयुक्त निदेशक (विधि)/जांच कार्यालय हाजा।
8. प्रिंसिपल, राजकीय उच्च अध्ययन संस्थान, बीकानेर।
9. उप निदेशक, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
10. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
11. श्री मूलचन्द माली, सेवानिवृत्त क.लेखाकार, जवाहर सैकण्डरी स्कूल के पीछे, भीनासर, बीकानेर – 334403 को कार्मिक(क–3/जांच)विभाग के आदेश संख्या प.1 (200) कार्मिक/क–3/2009 दिनांक 04.06.2015 की प्रति सहित।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–III)